

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक: 46 / जे०डी० / फा०स० / लखनऊ-17(गाजि०) / 101.139

दिनांक: मार्च १० 2017,

सेवा मे,

नगर नियोजक,  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,  
गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स महालक्ष्मी रीयल टैक प्रा०लि० द्वारा खसरा नं०-4.5 एवं 51 ग्राम सिकरोड़ गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन "मिसगन रुफ" के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी:2017/28243/जीजैडबी/गाजियाबाद/1934/जे०डी०।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

उक्त के अनुपालन में मानचित्रों एवं प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद श्री आर०के० यादव द्वारा किया गया तथा उनकी संस्तुति आख्या पत्रांक: आर-7/एफएसके/2017 दिनांक: 15-03-2017 का परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद की संयुक्त कमेटी एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद श्री अक्षय रंजन शर्मा द्वारा अपनी संस्तुति आख्या: दिनांक:15-03-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी तथा समस्त अभिलेखों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन कर संरचना:-

कुल प्लॉट एरिया-22502.30 वर्गमीटर।

नेट प्लॉट एरिया-17478.93 वर्गमीटर।

प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-6639.76 वर्गमीटर।

प्रस्तावित बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-13217.28 वर्गमीटर।

| क्रमसं० | नाम ब्लाक एवं तलों की संख्या                          | भूतल कवर्ड एरिया | कुल कवर्ड एरिया  | भवन की ऊँचाई | स्टेयर केस की संख्या एवं चौड़ाई मी०।                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | टावर ए, बेसमेन्ट+स्टिल्ट+14 तल                        | 3329.54 वर्गमीटर | 20211.53 वर्गमी. | 44.80 मीटर   | तीन, 1.50 मीटर प्रत्येक                                                                        |
| 2       | टावर बी, बेसमेन्ट+स्टिल्ट+16 तल                       | 2033.31 वर्गमीटर | 19252.59 वर्गमी. | 51.15 मीटर   | भूतल से 15वें तल तक 1.50मीटर चौड़ाई की चार तथा 16वें तल से टैरैस तक समान चौड़ाई की तीन स्टेयर। |
| 3       | कामर्शियल, बेसमेन्ट+लोअर ग्राउण्ड +अपर ग्राउण्ड+03 तल | 678.22 वर्गमीटर  | 2967.21 वर्गमी.  | 15.90 मीटर   | दो, 1.50/1.50 मीटर                                                                             |
| 4       | स्कूल, भूतल+02 तल                                     | 195.73 वर्गमीटर  | 587.19 वर्गमी.   | 10.50 मीटर   | एक, 2.0 मीटर                                                                                   |

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट, (एन०बी०सी०-2005 की ए-4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-प्रश्नगत भवन के सामने मानचित्रों में 45.00 मीटर चौड़ा रोड प्रदर्शित है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन के मरनचित्रों में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मीटर प्रदर्शित है।

3-सैटबैक:- प्रश्नगत भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-12.00 मीटर।

बी-पृष्ठभाग-7.50 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-7.50 मीटर।

डी-पार्श्व द्वितीय- 7.50 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैट बैक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित के अनुसार है। भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओं हेतु 6.0मीटर चौड़ाई का हार्डसरफेस युक्त मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। यह मार्ग सदैव ऑपन टू स्काई अवरोध मुक्त रखा जायेगा। इसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा।

(अरविन्द कुमार)  
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस  
उ०प्र० लखनऊ

- 4-निकास मार्ग:-प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है। ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर स्टेयर की चौड़ाई मानचित्र में प्रदर्शित चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक टावर की फायर स्टेयर पर 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5-रिफ्यूज एरिया:- प्रश्नगत भवन रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान किया गया है, जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।
- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निर्मांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य है:-
- 1-भूमिगत टैंक:-प्रश्नगत भवन में प्रस्तावित दो अदद पम्पसैट हेतु दो-दो लाख लीटर के दो अदद भूमिगत टैंक मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 2-फायर पम्प-प्रस्तावित भवन में दो अदद पम्प सैटस हेतु प्रत्येक पम्प रूम में (2280 एलपीएम के दो अदद मेन पम्प व समान क्षमता का डीजल फायर पम्प तथा जॉकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0) का प्राविधान किया जाना प्राविधानित है।
- 3-होजरील मय डाउन कम्बर:-प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील लैंडिंग वाल्व मय होज बाक्स, होज पाइप एवं ब्रांच पाइप आईएस:3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 4-वेटराईजर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में वेटराईजर सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना प्राविधानित है।
- 5-यार्ड हाइड्रेन्ट सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में यार्ड हाइड्रेन्ट सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना प्राविधानित है।
- 6-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत टावर-बी व बेसमेन्ट सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार कराया जाना प्राविधानित है।
- 7-आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 की टेबिल-23 के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 8-मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना प्राविधानित है।
- 9-टैरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टैरिस पर 10,000 लीटर क्षमता के टैरिस टैंक मानको के अनुसार प्राविधानित है।
- 10-फायर एक्सटिंग्यूशर:-प्रश्नगत भवन में आई0एस0 2190 मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्राविधान कराया जाना प्राविधानित है।
- 11-एग्जिट साइनेज:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में मैकेनिकल वैंटीलेशन/स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।
- 13-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित/वांछनीय है।
- 14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित/वांछनीय है।
- 15-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एनबी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।
- 16-प्रश्नगत भवन में इमरजेंसी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 17-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5, सी-6, सी-7, सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।
- 18-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा स्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर मैसर्स महालक्ष्मी रीयल टैक प्रा0लि0 द्वारा खसरा नं0-4,5 एवं 51 ग्राम सिकरोड गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन "मिसगन रूफ" के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अश्विन्द कुमार)  
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस  
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

4-मैसर्स महालक्ष्मी रीयल टैक प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या: 04 , 05, एवं 51 ग्राम मकरममतपुर एन0एच0-58 जिला गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।